उत्तर प्रदेश शासन
राज्य योजना आयोग -1
(नियोजन विभाग)

संख्या-1/1(1)79-51-रा0यो0आ0-1.

लखनऊ : दिनांक :-5 दिसम्बर, 1984

विज्ञप्ति

विविध

संकल्प संख्या-161(एस)72-122, दिनांक 24 अगस्त, 1972 द्वारा राज्य स्तर पर नियोजन प्रक्रिया को व्यापक एवं सुदृढ़ करने के लिए गठित राज्य योजना आयोग के पुनर्गठन से संबंधित समस्त पूर्वादेशों का अतिक्रमण करते हुए राज्यपाल महोदय राज्य योजना आयोग को पुनर्गठित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। पुनर्गठित राज्य योजना आयोग का स्वरूप अब निम्नवत होगा :-

1-	मुख्य मंत्री	अध्यक्ष
2-	नियोजन मंत्री	उपाध्यक्ष
3-	श्री नियाज हसन, 3, राज भवन कालोनी।	पूर्णकालिक उपाध्यक्ष
4-	सिंचाई मंत्री	सदस्य
5-	कृषि मंत्री	सदस्य
6-	पर्वतीय विकास मंत्री	सदस्य
7-	श्री अरूण कुमार जेहरू, संसद सदस्य, 12 बिलिंग्टन क्रिसेन्ट रोड, नई दिल्ली।	सदस्य
8-	श्री के0एन0 जोशी, संसद सदस्य (राज्य सभा) 144, आर्य एवेन्यू, नई दिल्ली	सदस्य
9-	श्री रमजान गुफरान जाहिदी, सदस्य, विधान सभा, उ0प्र0 105/184, चमनगंज, कानपुर	सदस्य
10-	डा0टी0एस0 पपोला, निदेशक, गिरी इन्स्टीट्यूट आफ डेवलपमेन्ट स्टडीज, निरालानगर, लखनऊ।	सदस्य

11-	डा० के० कृष्णामूर्ति, निदेशक, इन्स्टीट्यूट आफ इकोनामिक ग्रोथ, यूनिवर्सिटी इन्क्लेव, दिल्ली-110007	सदस्य
12-	श्री के०एन० मोदी, चेयरमैन, मोदी इण्टरप्राइजेज, मोदी नगर, मेरठ ।	सदस्य
13-	डा० मैडं हरी सिंहानिया, कमला टावर, कानपुर ।	सदस्य
14-	डा० सन्त सिंह, एमेरिटस साइंटिस्ट (आई०सी०ए०आर) 31/35-29 सन्त निवास, लंका, वाराणसी ।	सदस्य
15-	श्री राजाराम शास्त्री, काशी विद्यापीठ कैम्पस, वाराणसी ।	सदस्य
16-	श्री गंगा राम, ए/2/ए, पेपर मिल कालोनी, लखनऊ ।	सदस्य
17-	श्रीमती हेमलता स्वरूप, 111/98ए, वाटर वर्क्स कालोनी, अशोक नगर, कानपुर ।	सदस्य
18-	श्री भोला दत्त पाण्डे, रामपुर रोड, हल्द्वानी, नैनीताल ।	सदस्य
19-	मुख्य सचिव	सदस्य
20-	वित्त सचिव	सदस्य
21-	कृषि उत्पादन आयुक्त	सदस्य
22-	अध्यक्ष, राज्य विद्युत परिषद	सदस्य
23-	सिंचाई सचिव	सदस्य
24-	प्रमुख उद्योग सचिव	सदस्य
25-	सचिव, ग्रामीण विकास विभाग	सदस्य
26-	सचिव, नियोजन विभाग	सदस्य सचिव ।

2- क्रम संख्या-7 से 18 में उल्लिखित गैरसरकारी सदस्यों की सदस्यता अवधि दिनांक 31 मार्च, 1990 तक होगी । इस अवधि एवं सदस्यों के मनोनयन तथा संख्या के संबंध में शासन द्वारा आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकता है ।

माननीय संसद सदस्य श्री अरुण कुमार नेहरू एवं माननीय संसद सदस्य श्री के0एन0 जोशी ... माननीय विधायक श्री शुकराज जाहिदी का प्रयोजन इस तर्क के साथ है कि अतः से माननीय अध्यक्ष; लोकसभा, माननीय सभापति राज्य सभा एवं माननीय अध्यक्ष, विधान सभा, उत्तर प्रदेश की सहमति प्राप्त करने के पश्चात ही वह विधिवत आयोग के सदस्य के रूप में कार्य करेंगे ।

3- राज्य योजना आयोग के निम्नलिखित कार्य होंगे :-

(1) राज्य के विभिन्न प्रकार के संसाधनों (भौतिक, वित्तीय एवं जनशक्ति) का अनुमान लगाना तथा राज्य के विकास में इनके सर्वोत्तम उपयोग के बारे में सुझाव देना ।

(2) राष्ट्रीय योजना के उद्देश्यों एवं प्राथमिकता के साथ राज्य की आवश्यकताओं, संसाधनों एवं क्षमता को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रवार और कार्यक्रम वार अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन योजनायें बनाना ।

(3) राज्य के आर्थिक और सामाजिक विकास में अवरोध उत्पन्न करने वाले कारणों को इंगित करना तथा योजनाओं के सफल कार्यान्वयन हेतु उनका समाधान ढूंढना ।

(4) राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में क्षेत्रीय असन्तुलन को दूर करने हेतु नीतियों एवं कार्यक्रमों का सुझाव देना ।

(5) आयोजनागत कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा करना ।

(6) नियोजन एवं विकास की प्रणाली में आवश्यक संशोधन इंगित करना ।

(7) वार्षिक योजनाओं के प्रारूप को तैयार करने के संबंध में निर्णय देना ।

(8) पंचवर्षीय योजनाओं के तैयार करने के संबंध में आवश्यक मार्गदर्शन एवं

(9) ऐसे अन्य कार्य जो राज्य सरकार द्वारा दिये जाँय ।

4- राज्यपाल महोदय ने यह भी आदेश दिया है कि वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-3 के नियम 20(बी) के अंतर्गत राज्य योजना आयोग के गैर सरकारी सदस्यों को, जो उस क्षेत्र के स्थानीय निवासी नहीं है, जहां आयोग की बैठक होती है, आयोग की बैठक में सम्मिलित होने के लिए, की गई यात्राओं तथा पड़ाव के लिए नियमानुसार प्रथम श्रेणी के अधिकारियों को देय यात्रिक भत्ते के बराबर यात्रिक भत्ता दिया जायेगा। उक्त सदस्यों को

अपने मौलिक संगठनों में रेल के वातानुकूलित कोच, हवाई जहाज से यात्रा अनुज्ञेय है, उन्हें आयोग की बैठक में भाग लेने के लिये उसी प्रकार से यात्रा करने पर [illegible] नियम के नोट-2 के अपवाद के ध्यान रखते हुये यह भत्ता इन लोगों को सामान्य निवास स्थान से आयोग की बैठक के स्टेशन तक की यात्राओं के लिये देय होगें । यह सुविधा उन गैर सरकारी सदस्यों को भी अनुज्ञेय होगी जिनकी हैसियत को दृष्टिगत करते हुये उनकी यात्रा के विषय में नियोजन सचिव द्वारा प्रमाणित किया गया हो । इसके अतिरिक्त कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/1(1)79-51(रा0यो0आ0)/79 दिनांक 31-7-79 (प्रतिलिपि संलग्न) के अनुसार गैर सरकारी सदस्यों को, योजना आयोग से सम्बन्धित किसी निश्चित विकास कार्य से प्रदेश के किसी भी स्थान की यात्रा करने पर भी उन्हें यात्रा भत्ता एवं मानदेय उसी दर से दिया जायेगा जिस दर से उन्हें आयोग की बैठकों में भाग लेने के लिये अनुज्ञेय है परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कार्य के सम्बन्ध में नियोजन सचिव द्वारा यह प्रमाणित कर दिया जाय कि निश्चित विकास कार्य क्या था जिसके लिये सम्बन्धित सदस्य ने दौरा किया । यदि यात्रा के समय रेलवे रियायती दर पर टिकट देती है तो यात्रा भत्ता रेल के वास्तविक किराये व प्रथम श्रेणी के अधिकारियों को देय प्रासंगिक व्यय के बराबर होगा । यात्रिक भत्ता उक्त नियम के नीचे अंकित नोट-1 से 4 तक के प्राविधानों के अधीन होगा ।

5- कार्यालय ज्ञाप संख्या-1(3/35-5-77, दिनांक 2 मई, 1977 (प्रतिलिपि संलग्न) के अनुसार राज्य योजना आयोग के अवैतनिक गैर सरकारी सदस्यों को बैठक के प्रत्येक दिन रुपया 250/- (दो सौ, पचास रु0 केवल) की दर से मानदेय दिया जायेगा ।

6- यह भी निर्णय लिया गया है कि राज्य योजना आयोग के गैर सरकारी सदस्यों की अध्यक्षता में गठित स्टीयरिंग ग्रुप की बैठकों में भाग लेने अथवा उनसे सम्बन्धित कार्य निष्पादन हेतु गैर सरकारी सदस्य जब कभी अपने मौलिक संगठन से लखनऊ अथवा प्रदेश के अन्य किसी स्थान की यात्रा करेगें, उन्हें प्रस्तर-4 एवं 5 में उल्लिखित निर्देशों के अन्तर्गत यात्रा भत्ता तथा मानदेय देय होगा ।

------ 5/-

7- आयोग के गैर सरकारी सदस्यों को देय यात्रा भत्ता बिलों को सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, नियोजन विभाग प्रति हस्ताक्षरित करेंगे ।

8- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष के आय-व्ययक के लेखा शीर्षक " 296-सचिवालय आर्थिक सेवायें-क-आयोजना आयोग/आयोजना परिषद-उत्तर प्रदेश में नियोजन व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण तथा आयोजना आयोग की स्थापना" के अन्तर्गत डाला जायेगा ।

9- नियोजन विभाग, राज्य योजना आयोग का सचिवालय होगा ।

(माता प्रसाद)
सचिव ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद/लखनऊ ।
(2) राज्य योजना आयोग के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष तथा सदस्य ।
(3) सभापति राज्यसभा/अध्यक्ष लोकसभा, नई दिल्ली के निजी सचिव ।
(4) अध्यक्ष विधानसभा, उ0प्र0 के निजी सचिव ।
(5) समस्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।
(6) समस्त विभागाध्यक्ष ।
(7) समस्त मण्डलायुक्त
(8) समस्त जिलाधिकारी
(9) सचिवालय प्रशासन लेखा ।
(10) वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5/वित्त साधारण अनुभाग-4
(11) नियोजन विभाग एवं राज्य योजना आयोग के समस्त अधिकारी/अनुभाग
(12) रेजिडेन्ट आयुक्त, उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली
(13) अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को राजकीय गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ ।

आज्ञा से,

(माता प्रसाद)
सचिव,
नियोजन विभाग ।